न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— उमर दीन खान
आई.ए.एस.

ार्थना पत्र संख्या 9/2019

1. श्रीमती प्रेम बेवा जगरूप जाति सांसी, निवासी ग्रामझेरली, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
2. रूघवीर पुत्र जगरूप जाति सांसी, निवासी ग्रामझेरली, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
3. इन्द्राज पुत्र जगरूप जाति सांसी, निवासी ग्रामझेरली, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
4. टिंकू पुत्र जगरूप जाति सांसी, निवासी ग्रामझेरली, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
5. रतनाराम पुत्र जगरूप जाति सांसी, निवासी ग्रामझेरली, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
6. विक्रम पुत्र जगरूप जाति सांसी, निवासी ग्रामझेरली, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
7. सुशीला पुत्री जगरूप जाति सांसी, निवासी ग्रामझेरली, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

— — प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती शारदा पत्नि आनन्द कुमार जाति महाजन, निवासी पिलानी, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
2. रेणू पुत्री आनन्द कुमार जाति महाजन, निवासी पिलानी, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
3. अतुल कुमार पुत्र आनन्द कुमार जाति महाजन, निवासी पिलानी, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
4. अश्विनी कुमार पुत्र आनन्द कुमार जाति महाजन, निवासी पिलानी, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
5. सुशीला पत्नि महाबीर प्रसाद जाति महाजन, निवासीगण पिलानी, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
6. किशनलाल पुत्र महाबीर प्रसाद जाति महाजन, निवासीगण पिलानी, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
7. गिरीराज कुमार पुत्र महाबीर प्रसाद जाति महाजन, निवासीगण पिलानी, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
8. पवन कुमार पुत्र महाबीर प्रसाद जाति महाजन, निवासीगण पिलानी, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
9. बसन्त कुमार पुत्र महाबीर प्रसाद जाति महाजन, निवासीगण पिलानी, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
10. संजय कुमार पुत्र महाबीर प्रसाद जाति महाजन, निवासीगण पिलानी, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
11. नीलम पुत्री महाबीर प्रसाद जाति महाजन, निवासीगण पिलानी, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
12. विमला पुत्री महाबीर प्रसाद जाति महाजन, निवासीगण पिलानी, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
13. महेन्द्र सिंह पुत्र सूरत सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम झेरली, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं राज0।
14. राजस्थान सरकार भूमिधारक जरिये तहसीलदार सूरजगढ, तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं।
15. उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं।

— — अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:38:00 IST
Reason: SelfAttested

—

ावेदन पत्र अन्तर्गत रूल 20 अलाटमेन्ट ऑफ लैण्ड फोर एग्रीकल्चर परपज रूल्स 1970 वास्ते मंसूख करवाने अलोटमेन्ट

—

जिला कलक्टर झुंझुनूं

पस्थित :–

1. श्री हजारी लाल सूनिया, एडवोकेट, अपीलांट की ओर से
2. श्री सुरेन्द्र सिंह किशनावत, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 13 की ओर से
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं0 14 व 15 की ओर से

आदेश

दिनांक 22.03.2021

उक्त विषयक प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण की ओर से स्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है कि मौजा ग्राम झेरली, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं राजस्थान की सरहद मे भूमि गत खसरा नम्बर 216 रकबा 11 बीघा 3 बिश्वा राजकीय बंजड स्थित थी। जिसके हाल खसरा नम्बर 605/514 रकबा 0.16 हैक्टेयर है। प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के यक्ति है तथा सांसी जाति के व्यक्ति है तथा प्रार्थीगण के पिता जगरूप को उपरोक्त खसरा नम्बर 216 कबा 11 बीघा 3 बिश्वा भूमि अलॉट हुई थी तथा प्रार्थीगण के पिता के पास काश्त की भूमि भी पलब्ध नही थी और प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रार्थीगण काश्तकार तबके के गरीब यक्ति है। इस कारण उक्त भूमि प्रार्थीगण के पूर्वज/पिता जगरूप को अलॉट हुई थी। आंवटी को ांवटनशुदा भूमि पर एक बार कब्जा संभलाये जाने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से विभाग की है लेकिन र्थीगण व प्रार्थीगण के पूर्वज जगरूप को आंवटित भूमि का कभी भी कब्जा नही संभलाया जिसके लिए र्थीगण का पिता जगरूप बार–बार विभाग से निवेदन करता रहा और काफी चक्कर दफ्तरों के लगाये किन विभाग द्वारा कभी भी कब्जा प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता जगरूप को नही संभलाया और गरूप की मृत्यु करीब 30 वर्ष पूर्व हो चुकी है। इसके पश्चात् भी प्रार्थीगण ने भी कई बार विभाग मे मि का कब्जा दिलवाने का निवेदन किया। लेकिन विभाग ने कभी भी कब्जा प्रार्थीगण को नही भलाया। प्रार्थीगण गरीब, अनपढ, अनुसूचित जाति के व्यक्ति है उनके पास राजनैतिक प्रभाव व र्थिक प्रभाव नही होने के कारण कभी भी विभाग ने प्रार्थीगण को कब्जा नही संभलाया। प्रार्थीगण के ता जगरूप को उक्त अलॉट की गई भूमि गत खसरा नम्बर 216 रकबा 11 बीघा 3 बिश्वा जिसके ल खसरा नम्बर 605/514 रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि को अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 12 के पिता हाबीर प्रसाद डालमिया ने हडपने के इरादे से उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं के समक्ष आवेदन पेश कर र्थीगण के पिता के नाम उक्त भूमि के अलॉटमेन्ट को रद्द कर उक्त प्रार्थीगण के पिता को अलॉट मि को अपने नाम से अलॉट करने का पेश किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा कोई किसी कार की जांच किए बिना तथा मात्र अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 12 के पिता महाबीर प्रसाद डालमिया के मौखिक कहने पर ही आवेदक के पिता जगरूप ने वापस सरेण्डर कर दी मानकर आवेदक के पिता को अलॉट की गई भूमि अनावेदक संख्या 5 ता 12 के पिता महाबीर प्रसाद डालमिया के नाम अलॉट कर भारी कानूनी भूल की है तथा कानून को ताक मे रखकर प्रार्थगण के पिता को अलॉट भूमि को लत तरीके से तथा नियम विरूद्व तरीके महाबीर प्रसाद डालमिया के नाम अलॉट की है, जबकि कानूनन एक बार अलॉट भूमि को दुबारा किसी दूसरे व्यक्ति को अलॉट नही किया जा सकता तथा ना ही उक्त प्रार्थीगण के पिता को अलॉट भूमि को दुबारा महाबीर प्रसाद [illegible] के नाम अलॉट करने से र्व प्रार्थीगण के पिता को कोई नोटिस दिया गया, [illegible] जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के सर्वथा विपरीत है। इसलिए दिनांक 14.11.[illegible] प्रार्थीगण के पिता के नाम अलोटैड भूमि अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 12 के पिता महाबीर प्रसाद डालमिया के नाम उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं ने की है। यह अलोटेड आदेश दिनांक 14.11.1971 अपास्त होने योग्य है। इसलिए भूमि गत खसरा नम्बर 216 रकबा 11 बीघा 3 बिश्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 605/514 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:38:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुंझुनूं

16 हेक्टेयर भूमि का अलॉटमेन्ट दिनांक 14.11.1971 को अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 12 के पिता हाबीर प्रसाद डालमिया के नाम किया गया है, को रद्द किया जाकर उक्त भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण का करवाया जाना न्यायोचित है ताकि प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त हो सके। प्रार्थीगण के पिता को अलॉट उक्त वर्णित भूमि गत खसरा नम्बर 216 रकबा 11 बीघा 3 बिश्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 605/514 कबा 0.16 हैक्टेयर भूमि का गलत तरीके से अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 12 के पिता महाबीर प्रसाद के नाम होने की जानकारी होने पर उक्त भूमि का अलॉटमेन्ट की नकल निकलवाई जो प्रार्थीगण को दिनांक 08.08.2018 को मिली तब उक्त गलत अलॉटमेन्ट की जानकारी प्रार्थीगण को हुई तो अविलम्ब र्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष सावधि पेश है। प्रार्थीगण के पिता जगरूप को आंवटित भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 तथा अप्रार्थी संख्या 13 ातेदार के रूप मे दर्ज है इसलिए उन्हे फरीक प्रार्थना पत्र बनाया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 14 ुमेधारक है तथा आदेश दिनांक 14.11.1971 अप्रार्थी संख्या 15 द्वारा पारित किया गया है जिसे र्थीगण निरस्त करवाना चाहते है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 15 को फरीक प्रार्थना पत्र बनाया गया है। तः प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 12 के पिता हाबीर प्रसाद डालमिया के पक्ष मे उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं ने अपने आदेश दिनांक 14.11.1971 मांक 2570/राजस्व के द्वारा उक्त भूमि आंवटन की है, उक्त आंवटन आदेश को निरस्त किया जावे था जगरूप के नाम से आंवटित भूमि का कब्जा उसके उत्तराधिकारियों प्रार्थीगण को मौके पर करवाया ावे तथा दोषी अधिकारियों के विरूद्व विधिनुसार कार्यवाही किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों ो पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि मौजा ग्राम झेरली, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं जस्थान की सरहद मे भूमि गत खसरा नम्बर 216 रकबा 11 बीघा 3 बिश्वा राजकीय बंजड स्थित थी सके हाल खसरा नम्बर 605/514 रकबा 0.16 हैक्टेयर है। प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है था सांसी जाति के व्यक्ति है तथा प्रार्थीगण के पिता जगरूप को उपरोक्त खसरा नम्बर 216 रकबा बीघा 3 बिश्वा भूमि अलॉट हुई थी तथा प्रार्थीगण के पिता के पास काश्त की भूमि भी उपलब्ध नही ी और प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रार्थीगण काश्तकार तबके के गरीब व्यक्ति है। इस ारण उक्त भूमि प्रार्थीगण के पूर्वज/पिता जगरूप को अलॉट हुई थी। आंवटी को आंवटनशुदा भूमि र एक बार कब्जा संभलाये जाने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से विभाग की है। प्रार्थीगण के पिता को लॉट भूमि को दुबारा महाबीर प्रसाद डालमिया के नाम अलॉट करने से पूर्व प्रार्थीगण के पिता को कोई ोटिस दिया गया, ना ही सुनवाई का कोई अवसर ही दिया। प्रार्थी के पिता द्वारा सरेन्डर की गई भूमि का कोई प्रार्थना पत्र नही है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा महाबीर प्रसाद को गलत रूप से भूमि आंवटित की गई है। एक बार किसी व्यक्ति को आंवटित की गई भूमि दूसरे व्यक्ति को नियमानुसार दुबारा ावटित नही किया जा सकता है। प्रार्थीगण अलोटी व्यक्ति की ही संतान/वारिस है। तीसरी पीढी नही है। अप्रार्थी द्वारा कोई 15 बीघा भूमि बदले मे प्रार्थी को नही दी गई है। यदि दी गई है तो उसके स्तावेज बतायें। अतः प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 2 के पिता महाबीर प्रसाद डालमिया के पक्ष मे उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं ने अपने आदेश दिनांक 14. 1.1971 कमांक 2570/राजस्व के द्वारा उक्त भूमि आंवटन की है, उक्त आंवटन आदेश को निरस्त किया जावे तथा जगरूप के नाम से आंवटित भूमि का कब्जा उसके उत्तराधिकारियों प्रार्थीगण को मौके र करवाया जावे तथा दोषी अधिकारियों के विरूद्व विधिनुसार कार्यवाही किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:38:00 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी सं0 13 ने बहस के दौरान वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध कर र्क प्रस्तुत किया कि प्रथम अलोटी व्यक्ति प्रार्थी की मृत्यु काफी अरसे पहले हो चुकी है। प्रार्थी पूर्व

अलोटी की तीसरी पीढी है। प्रार्थना पत्र मियाद मे नही है। प्रार्थी के पिता जगरूप को भूमि आंवटित की गई है का कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नही किया गया है जबकि अप्रार्थी के पक्ष मे भूमि अलॉटमेन्ट का दस्तावेज है। विवादित भूमि के पास मेरी खातेदारी भूमि है। विवादित भूमि पट्टी के रूप मे होने के कारण मुझे आंवटित की गई है जो मेरे खेत के समानान्तर है। उक्त विवादित भूमि पर मुझ अप्रार्थी सं0 13 का कब्जा व काश्त है। अप्रार्थी सं0 13 को भूमि आंवटन कमेटी की सिफारिश व पटवारी हल्का की रिपोर्ट के बाद नियमानुसार आंवटित की गई है। प्रार्थी जगरूप द्वारा उसको आंवटित भूमि उसके द्वारा सरेण्डर कर दी गई थी एवं बदले मे उसे मुझ अप्रार्थी द्वारा 15 बीघा भूमि दूसरी जगह विक्रय कर दी गई थी। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र निराधार तथ्यों पर प्रस्तुत किया है, जो खारिज योग्य है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन पत्र खारिज फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान विद्वान वकील प्रार्थी के तर्को का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी ने काफी समय बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसका अब कोई औचित्य नही है। प्रार्थना पत्र सारहीन है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना निराधार एवं सारहीन होने से खारीज योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया प्रकरण में प्रार्थीगण का तर्क यह रहा है कि ग्राम झेरली स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 216 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा राजकीय बंजड़ भूमि का आंवटन उनके पिता जगरूप को हुआ था। जिसका उन्हे कब्जा प्राप्त नहीं हुआ। इस संबंध में अप्रार्थीगण का तर्क है कि उक्त विवादित आराजी उनकी खातेदारी भूमि के सामानान्तर पट्टी के रूप में होने से उन्हे आवंटित की गई थी एवं वर्तमान में अप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा है तथा राजस्व रिकार्ड में भी भूमि की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण ने उनके पिता को भूमि का आवंटन हुआ हो ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है और न ही ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिससे यह सिद्ध हो सके की विवादित आराजी पर उनका कब्जा रहा है या है। यदि प्रार्थीगण के इस तर्क को स्वीकार भी कर लिया जावें कि उनके पिता जगरूप को विवादित आराजी आवंटित हुई है तो भी उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के आवंटन आदेश दिनांक 24.11.1971 में साफ अंकित किया गया है कि " अतः उक्त भूमि खसरा नम्बर 216 जो कि पूर्व में आंवटित हो चुकी है व आवंटी ने दिनांक 27.07.1970 को उक्त भूमि को वापिस (सरेन्डर) कर दी है। यह भूमि सिवाय प्रार्थी के दुसरे व्यक्ति द्वारा काश्त करना व सुविधाजनक होना नहीं पाई जाती तथा भूमि आंवटन कमेटी के सदस्य प्रधान, तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं सरपंच का भी यही राय है कि उक्त जमीन प्रार्थी श्री महाबीर प्रसाद को देदी जावें।" वकील अप्रार्थी ने आज दिनांक 22.03.2021 को दस्तावेज किता 1 प्रस्तुत किया जिसमें विक्रय पत्र दिनांक 22.07.1970 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है जो प्रार्थीगण के पिता जगरूप के पक्ष में तस्दीक हुआ है। उक्त समस्त तथ्यों से साफ जाहिर है कि प्रार्थीगण के पिता को आंवटित भूमि की बाबत अन्य भूमि उपलब्ध करावाई गई थी तथा उक्त विवादित आराजी श्री महाबीर प्रसाद को नियमानुसार आवंटित हुई है। प्रार्थीगण ने इतने लम्बे समय पश्चात बिना किसी आधार व साक्ष्य सबुत के प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण अपना पक्ष साबित करने में विफल रहे है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/03/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:38:00 IST
Reason: SelfAttested